Witness No-----**07**-----For--------अभियोजन------------Deposition

taken on the.-**25-07-2026** .day **of शनिवार.**- Witness's apparent age-...**48....वर्ष**

States on affirmation----शपथपूर्वक ---my name is-**...मोहन लाल बैगा.......**

s/W/D of-........**श्री लालसाय बैगा** . -occupation......**सहायक ग्रेड 1 ..**

address-......**ग्राम रूखमीदादर, थाना कुक्दुर व जिला कवर्धा (छ.ग.)**...................

टीपः. साक्षी को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया।

मुख्य परीक्षण प्रारंभिक समय - 12.45 P.M.

//राज्य की ओर से एडीपीओ श्री अभिषेक सिवाना उपस्थित//

01. न्यायालय उपस्थित आरोपी हेमंत कुमार गुरू को नहीं जानता हूं । प्रार्थी भूपेन्द्र कुमार मंडावी को जानता हूँ वह सहकारिता निरीक्षक है । वर्ष 2020 में मैं उपपंजीयक शाखा सहकारी संस्था बालोद में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ था । मुझे भूपेन्द्र कुमार मंडावी ने कुछ काम है कहकर थाना गुरूर ले गये थे वहीं दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो मैंने कर दिया, इसके अतिरिक्त मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है । मेरे समक्ष पुलिस वाले भूपेन्द्र कुमार मंडावी से किसी प्रकार की कोई जप्ती कार्यवाही नहीं किये थे । जप्ती पत्रक प्रपी 07 के स से स भाग पर साक्षी ने अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

टीपः- इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को सन्मुख कराकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछने की अनुमति चाहीं गई। विचारोपरांत अनुमति प्रदान की गयी।

02. यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष भूपेन्द्र कुमार मंडावी के पेश करने पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित गुरूर पंजीयक क्रमांक 496 का एक कार्यवाही पंजी जिसके पेज क्रमांक 2 से 18 तक में कार्यवाही का विवरण लेख है और कार्यालय संचालक संचालनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण इंद्रावती भवन नवा रायपुर का आदेश क्रमांक 8363/खाद्य उप/377/2019 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 08-11-2019 एवं छ.ग. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ 4-9/खाद्य/2019/29-11 नवा रायपुर दिनांक 06.11.2019 आदेश छायाप्रति जुमला 20 पन्ना को जप्त किया था। यह कहना गलत है कि आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता कु. डाकेश्वरी सिन्हा वास्ते आरोपी//

03. यह कहना सही है कि जिस पत्रक पर मैंने अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है उसे मैंने पढ़कर नहीं देखा है, न ही मुझे पढ़कर सुनाये है।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 01.00 P.M.

गवाह को पढकर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित

HEERA SINHA Digitally signed by HEERA SINHA **(श्रीमती हीरा सिन्हा)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)**	HEERA SINHA Digitally signed by HEERA SINHA **(श्रीमती हीरा सिन्हा)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)**

गवाह का हस्ताक्षर